



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2021 / 2022

दिनांक: 18.07.2022

प्रेषक :

कुलसचिव
डॉ० रा० ला० अवध वि० वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा,
पुत्र श्री.....

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की बैठक दिनांक 17.05.2022 की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० विनोद कुमार श्रीवास्तव, अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के दो माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० विनोद कुमार श्रीवास्तव, अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
2. डॉ० मंजुला उपाध्याय, प्राचार्या नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2036 /2022

दिनांक: 22.07.2022

प्रेषक :

कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

सुनील कुमार जायसवाल
पुत्र दशरथ जायसवाल

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० दीनानाथ तिवारी, सहायक आचार्य, एल०बी०एस० पी०जी० कॉलेज, गोण्डा।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के 10 दिन के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० दीनानाथ तिवारी, सहायक आचार्य, एल०बी०एस० पी०जी० कॉलेज, गोण्डा।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 2034 / 2022

दिनांक: 22.07.2022

प्रेषक :

कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

आलोक प्रताप सिंह

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० सुनीत कुमार सिंह, रामनगर पी०जी० कॉलेज, रामनगर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के 10 दिन के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० सुनीत कुमार सिंह, रामनगर पी०जी० कॉलेज, रामनगर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2033 /2022

दिनांक: 22.07.2022

प्रेषक :

कुलसचिव

डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,

अयोध्या।

प्रापक:

सुजाता भारती

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० संजीव रतन गुप्ता, संत तुलसीदास पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के 10 दिन के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छ:माही) शुल्क (कुल 04 छ:माही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० संजीव रतन गुप्ता, संत तुलसीदास पी०जी० कालेज, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2032 / 2022

दिनांक: 22.07.2022

प्रेषक :

कुलसचिव
डॉ० रा० ला० अवध वि० वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

वीनम
पुत्री श्री जे पी वर्मा

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० किरन सिंह, सहायक आचार्य, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के 10 दिन के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल 04 छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-2017 के अनुसार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० किरन सिंह, सहायक आचार्य, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुलतानपुर।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/२०३९/२०२२

दिनांक: २२.०७.२०२२

प्रेषक :

कुलसचिव
डॉ०रा०ला०अवध वि०वि०,
अयोध्या।

प्रापक:

सुबोध कुमार पाण्डेय
पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय

विषय: शोध कार्य हेतु शोध निर्देशक आवंटन पत्र।

अर्थशास्त्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार शोध निर्देशक नामित किया जाता है:-

शोध निर्देशक का नाम: डॉ० विवेक कुमार जायसवाल, सहायक आचार्य, किसान पी०जी० कॉलेज, बहराइच।

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत पालन करे, ताकि तत्सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० ३,०००/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के १० दिन के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि ३६ माह (३ वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि ७२ माह (६ वर्ष) होगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० ५०००/- सेमेस्टर (छःमाही) शुल्क (कुल ०४ छःमाही) के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश-२०१७ के अनुसार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शोध निर्देशक: डॉ० विवेक कुमार जायसवाल, सहायक आचार्य, किसान पी०जी० कॉलेज, बहराइच।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव